न्यायालय उपखण्ड ... काकूनर जिला जयपुर

...9/62/19 तारीख रजू...

पाँची बनाम मोहनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रा० पत्र 212 RT Act वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत प्रा० पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खसरा नं. 425 रकबा 47/480 हैक्टेयर वाके ग्राम सौंखल तह० कठूमर में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी तरह की रुकावट व मदाखलत पैदा ना करें, जबरन बेदखल कर खुद कब्जा नहीं करें तथा अप्रार्थीगण उक्त आराजी बाबत किसी भी दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं करावे। रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत बनाए रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 28.6.19 को पेश करें ...	165 27/5/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक......10/2/23........ को पेश हो।

खण्ड अधिकारी
कठूमर / अलवर

..........प्रकुलाप..........उपस्थित

10/2/23 स्थगित आदेश दिनांक..................

की पालना हेतु नी वास्ते...... हेतु आर्ग्यु.....

दिनांक.......20/2/23.......... को पेश हो। SDO साहब

खण्ड अधिकारी
कठूमर / अलवर

20/2/23 प्रकुलाप उपस्थित समय अभाव के कारण आदेश

की क्रमानुसार वाले आदेश दिनांक 24/2/23

को पेश हो।

SDM

24/2/23 प्रकुलाप उपस्थित अतः स्थगन का प्रार्थना पत्र लंबित

ना होने के कारण खारिज किया जाता है निर्णय

पृथक से लिखा गया जाकर स्थगन किया गया है

पत्रावली ... ... दाखिल ...

... सम्पूर्ण होकर ... दाखिल ... हुक्म

SDM

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/62/2019

बउनवान

1. पांची पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी लल्लूवारी सौंखर
   तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायला

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी लल्लूवारी सौंखर
   तहसील कठूमर जिला अलवर
2. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर .

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश जैमन– अधिवक्तासायला की ओर से

श्री कृपाशंकर शर्मा– अधिवक्ता गैरसायल सं0 1

आदेश

दिनांक 22.02.2023

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 425 रकवा 0.85 हे. ग्राम सौंखर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी सायला के ससुर हीरालाल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी सायला के ससुर हीरालाल के फौत हो जाने पर विवादित आराजी का 47/240 [illegible] के पति गैरसायल सं0 1 मोहनलाल को विरासत में प्राप्त हुआ है [illegible] हिस्सा [illegible] सायलान व प्रतिवादीगण का है। गैरसायल सं0 1 सायला का पति है। हमारे [illegible] संतान नहीं है। सायला एंव गैरसायल सं0 1 आपस में पति पत्नी है। उक्त आराजी में 47/240 हिस्सा गैरसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है जिसमें सायला का 47/480 हिस्सा बनता है जिस पर सायला काविज रहकर काश्त कर अपना गुजारा कर रही है। लेकिन हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज रहने से सायला के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है तथा सायला को काश्त करने में बाधा पैदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

करता है तथा हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करने की धमकी देता है तथा सायला के कब्जा काश्त में बाधा पैदा करता है पूर्व में भी गैरसायल सं0 1 ने विना घरू आवश्यकता के लिये जमीन वेच दी है। सायला के पास विवादित आराजी के अलावा और कोई जीवन यापन का साधन नहीं है जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायला तवाह एंव वर्वाद हो जावेगी दीगर मुकदमा बाज़ी वढेगी जिससे सायला को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर सायला के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुये अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी से सायला का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त आराजी गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज रहने से सायला के हक हकूकों पर विपरीत असर नहीं पडता है। सायला को गैरसायल के विरूद्व स्टे प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। सायला का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है। सायला का हिस्सा गैरसायल सं0 1 के मरने के वाद प्राप्त होगा। गैरसायल के जीवन काल में सायला का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं बनता है। सायला गैरसायल की पत्नी है जो गैरसायल के साथ रह रही है। गैरसायल सायला की हर जायज जरूरत की पूर्ति कर रहा है पति धर्म का पालन कर रहा है। यदि सायला को भरण पोषण की राशि की जरूरत है तो सायला को सिविल न्यायालय में गुजारा भत्त दिलाने का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए। कानूनन पति के जीवित रहते हुय पत्नी को पति की आराजी में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है। सायला झूँठे प्रार्थाना पत्र की आड में गैरसायल को पाबन्द कराना चाहती है। की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। सायला का किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:27 IST
Reason: Self Attested

सायलाने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपी नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम सौंखर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायला को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –

उपखण्ड अधिकारी
(...) राज0

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिवक्तागण पक्षकारान की वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायला ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 को सायला के ससुर हीरालाल से विरासत में मिली है। जिसमें सायला का 1/2 हिस्सा बनता है उक्त आराजी गैरसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज रहने से गैरसायल उक्त आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहता है पूर्व में भी वेच चुका है यदि उक्त आराजी को भी वेच दिया तो सायला के सामने भूखों मरने की नौवत आ जावेगी। सायला के पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचेगा। इसलिए सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायल को पाबन्द किया जावे कि वो सायला को उक्त आराजी में हिस्सा मुताविक कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करे रहन वय ना करे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी वहस के दौरान सायला द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों का विरोध करते हुये कथन किया कि सायला का विवादित आराजी से किसी तरह का बास्ता नहीं है। गैरसायल सायला की अच्छी तरह से देखभाल साल संभाल कर रहा है हर जायज जरूरत की पूर्ति कर रहा है। कानूनन पति के जीवनकाल में पत्नि का हिस्सा नहीं बनता है। गैरसायल विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसे उक्त आराजी को रहन वय करने का पूरा अधिकार है। सायला का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। सायला ने प्रार्थना पत्र गैरसायलके विरूद्ध सही तथ्यों को छुपाकर से पेश किया है। सायला का प्रार्थना पत्र किसी तरह सावित नहीं है जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलाद्वारा [illegible] राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्षकारान [illegible] यह सही है कि विवादित आराजी गैरसायल सं0 47/240 [illegible] हिस्सा अन्य साझीदारान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल सं0 1 सायला का पति है। पति के जीवनकाल में उसकी कृशि भूमि में पत्नी का हक़ हिस्सा व अधिकार मिलता हो इस तथ्य को सावित करने का भार सायला पर था लकिन इस तथ्य को सावित करने के लिये सायला ने कोई कानूनी नजीर अथवा प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

इसके अलावा विवादित आराजी पर सायला का कब्जा हो इस तरह का कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति हो रही है इसको सायला ने सावित नहीं किया है। गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। सायला को किसी तरह की क्षति अथवा नुकशाान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है यदि गैरसायलान को पाबन्द किया गया तो उन्हें अपार हांनि व क्षति होना संभव है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 27.05.2019 निरस्त किया जाता है।प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0

लाखनसिंह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 22.02.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0

लाखनसिंह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested